2019/00082

फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

मेन्टोर होम लोन्स इण्डिया लि॰ **बनाम** संतोष कुमार काला

केस संख्या 179/2019 (धारा 14 सरफेशी एक्ट)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
02.09.2019	प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर स अधिवक्ता श्री सूरज शर्मा ने सरफेशी अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु पुलिस ईमदाद उपलब्ध कराने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया है। न्यायहित में अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड सूचना पत्र जारी किया जाकर पत्रावली दिनांक 16.09.2019 को पेश हो। जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर	
16-9-19	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप विपक्षी के प्रतिनिधि उप० बहस हेतु अवसर चाहा। पत्रावली दिनांक 14-10-19 को पेश हो। जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर	
14-10-19	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उप० बहस हेतु अवसर चाहा। पत्रावली दिनांक 14-11-19 को पेश हो। जिला मजिस्ट्रेट। (कलक्टर) जयपुर	
14-11-19	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उप० वकील प्रार्थी ने नोट प्रेस किया है, विपक्षी ने कोई एतराज नहीं किया। अतः धारा 14 के सरफेशी के प्रा० पत्र को नोट प्रेस किया जाता है। इस आदेश के अन्तर 48 घण्टे के भीतर पत्रावली नम्बर से कम हो। जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर	Noted press Suresh Sharma Adv. 04/11/201